रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 3 मार्च, 2005/12 फाल्गुन, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-9, 22 फरवरी, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए०(5)/2001-4745-51.—यह कि उपायुक्त ऊना, जिला ऊना ने उनके कार्यालय पत्र संख्या पंच-ऊना (4)-13/89-1548-1552, दिनांक 31-12-2004 के अनुसार सूचित किया है कि आप से वर्ष 1985-86 से प्रधान, ग्राम पंचायत बढेड़ा राजपूताना के पद पर रहते हुये पंचायत समिति गगरेट में ग्रामों की नीलामी से सम्बन्धित बकाया राशि कुल मु० 37,443/- रु० ब्याज सहित मु० 1,38,539/- रु० की राशि वसूली हेतु लम्बित है । जिसकी वसूली हेतु आपको उपायुक्त ऊना द्वारा भी दिनांक 4-9-2004 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । परन्तु फिर भी आप द्वारा इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी न तो ग्रामों की नीलामी की बकाया वसूली राशि पंचायत समिति खाते में जमा करवाई और न ही कोई लिखित उत्तर प्रेषित किया । इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2000 में प्रधान, ग्राम पंचायत बढेड़ा के पद पर चुनाव हेतु नामांकन पत्र में मिथ्या घोषणा करके अयोग्यता अर्जित की है ।

यह कि आप द्वारा उपरोक्त वसूली राशि को पंचायत समिति खाते में जमा न करके तथा मिथ्या घोषणा करके हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ञ) व (ढ) के

अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने के फलस्वरूप आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1)(क) के अन्तर्गत प्रधान, ग्राम पंचायत बढेड़ा राजपूताना के पद से निष्काषित किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको निर्देश दिए जाते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिए आपको प्रधान, ग्राम पंचायत बढेड़ा राजपूताना के पद से निष्काषित किया जाए । आप उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें । आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित